राज्य स्कीम

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संoसंo-4/निदे0 अनु0 जनजाति छात्रावास राज्य स्कीम (सा0 एवं पू0)-182-06/2026- 52

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका/भागलपुर/जमुई/कैमूर/किशनगंज/मुजफ्फरपुर/
प० चम्पारण/पूर्णियाँ/रोहतास।

पटना, दिनांक- 19/05/2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों तथा अनु0 जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री व पूर्तियाँ मद में ₹7,49,32,200/-(सात करोड़ उनचास लाख बतीस हजार दो सौ रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों तथा अनु0 जनजाति के डॉ0 अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री व पूर्तियाँ मद में ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-51 दिनांक- 19/05/26 द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि के आलोक में भोजनादि, पोशाक, चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल-सामग्री, टी०वी०, पंखा, अग्निशमन यंत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड एवं रोटी मेकर आदि की आपूर्ति हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि कुल ₹7,49,32,200/-(सात करोड़ उनचास लाख बतीस हजार दो सौ रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277 शिक्षा, उपशीर्ष-0101-शिक्षा, विषयशीर्ष-0101.21.01-सामग्री व पूर्तियाँ, मांग संख्या-44-विपत्र कोड 44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त नियंत्री पदाधिकारी होगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7– संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए किया जाएगा।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

निदेशक

ज्ञापांकः–4 / निदे0अनु0जनजाति छात्रावास राज्यस्कीम(सा0 एवं पू0)–182–06 / 2026–52 दिनांक–19/05/26

प्रतिलिपिः–(1)महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला उप विकास आयुक्त / प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु0 जनजाति के आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों तथा अनु0 जनजाति के डॉ अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि की विवरणी

विपत्र कोड–44–2225022770101

(राशि रू0 में)

क्रमांक	जिला का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	बांका	80,49,200
2	भागलपुर	1,08,38,000
3	जमुई	73,65,800
4	कैमूर	2,27,800
5	किशनगंज	70,02,000
6	मुजफ्फरपुर	12,73,000
7	प0 चम्पारण	3,84,07,600
8	पुर्णियां	14,47,200
9	रोहतास	3,21,600
	कुल योग	**7,49,32,200**

(सात करोड़ उनचास लाख बतीस हजार दो सौ रू0 मात्र)

पत्रांक– 52 दिनांक– 19/05/2026 का अनुलग्नक

निदेशक